

परिशिष्ट-1

(पैरा 1.6 देखें)

लीगल फ्रेमवर्क

धारा	प्रावधानों का सार
32(1)	<p>मूल्यहास को 1 अप्रैल 1998 अथवा उसके पश्चात् अधिग्रहीत मूर्त परिसम्पत्ति होने के नाते अर्थात् बिल्डिंग, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर पर तथा अमूर्त सम्पत्ति होने पर तकनीकी जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या किसी अन्य व्यवसाय या इसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन अनुमति दी जाती है;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. परिसम्पत्तियों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्धारिती के स्वामित्व में होना चाहिए, 2. परिसम्पत्ति को वास्तव में निर्धारिती के व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना चाहिए, 3. परिसम्पत्ति को सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान उपयोग किया जाना चाहिए। <p>मूल्यहास को विद्युत क्षेत्र को छोड़कर परिसम्पत्ति के अवलेखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) पर आईटीआर के 5(1) के साथ पठित परिशिष्ट 1 में प्रदत्त निर्धारित प्रतिशतता पर संगणित किया जाना है जिसके बदले में परिसम्पत्तियों की वास्तविक लागत के संदर्भ गणना की जाती है।</p> <p>निर्माण या विद्युत के उत्पादन तथा वितरण में लगे उपकरणों के मामलों में, मूल्यहास को नियम 5(आईए) के साथ पठित परिशिष्ट आईए में पदत्त दरों पर वास्तविक लागत (अर्थात् स्ट्रेट लाइन पद्धति पर) पर स्वीकृत किया जाएगा। तथापि, निर्धारिती परिशिष्ट 1 में प्रदत्त दरों पर अवलेखित मूल्य विधि पर मूल्यहास का दावा करने के लिए धारा 139(1) के तहत रिटर्न भरने की नियत तिथि से पूर्व विकल्प का प्रयोग कर सकता है।</p>
43(6) (डब्ल्यूडीवी)	<p>‘अवलेखित मूल्य’ से तात्पर्य है</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पिछले वर्ष में अधिग्रहित परिसम्पत्तियों के मामलों में निर्धारिती के लिए वास्तविक लागत। 2. पिछले वर्ष से पूर्व अधिग्रहित परिसम्पत्तियों के मामले में, निर्धारिती की वास्तविक लागत इस अधिनियम के तहत उसके वास्तव में स्वीकृत सभी मूल्यहास को कम करती है। 3. परिसम्पत्ति के किसी भी ब्लॉक के मामलों में, डब्ल्यूडीवी को निम्नलिखित तरीकों से संगणित किया जाएगा: <ol style="list-style-type: none"> (i) वर्ष के प्रारम्भ में एक ब्लॉक के अन्दर आने वाली सभी परिसम्पत्तियों की कुल गणना की जाएगी। (ii) परिसम्पत्तियों के अवलेखित मूल्य के जोड़ में उस ब्लॉक जिसे पिछले वर्ष के दौरान अधिग्रहित किया गया था, के अन्दर आने वाली परिसम्पत्तियों की वास्तविक लागत तक वृद्धि होगी।

	(iii) ऐसे प्राप्त जोड़ को किसी परिसम्पत्ति जिसे पिछले वर्ष के दौरान बेचा गया, खारिज या नष्ट किया गया है, के संदर्भ में देय धन द्वारा कम किया जाएगा।
	(iv) यदि किसी ब्लॉक का अवलेखित मूल्य 'शून्य' तक कम हो जाए तो कोई मूल्यहास अनुमत नहीं होगा।
2(11) (परिसम्पत्तियों के ब्लॉक)	अधिनियम तकनीकी जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड-मार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या किसी अन्य व्यवसाय या इसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार होने के नाते बिल्डिंग, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर तथा अमूर्त परिसम्पत्ति होने के नाते मूर्त परिसम्पत्ति की तुलना में परिसम्पत्ति की एक श्रेणी के अन्दर आने वाली परिसम्पत्तियों के एक ग्रुप के रूप में 'ब्लॉक आफ ऐस्सेट' शब्द को परिभाषित करता है जिसके संदर्भ में मूल्यहास की एक ही प्रतिशतता को निर्धारित किया जाता है।
43(1) (वास्तविक लागत)	एक परिसम्पत्ति की "वास्तविक लागत" से तात्पर्य संस्थापना पर व्यय आदि सहित निर्धारिती के लिए इसकी वास्तविक लागत से है। यदि लागत के भाग को अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है तो निर्धारिती के लिए लागत को उस व्यक्ति द्वारा वाहन की गई ऐसी राशि द्वारा कम किया जाएगा। इसके अलावा, (i) यदि एक परिसम्पत्ति को उपहार या विरासत के तरीके से अधिग्रहीत किया जाता है, तो निर्धारिती के लिए इसकी वास्तविक लागत को निर्धारण वर्ष 1988-89 तक अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस परिसम्पत्ति के संदर्भ में वास्तविक रूप से स्वीकृत मूल्यहास द्वारा कम किए गए पिछले मालिक के लिए इसकी वास्तविक लागत होनी चाहिए। मूल्यहास जो स्वीकार्य होगा जैसेकि वह परिसम्पत्ति परिसम्पत्तियों के प्रासंगिक ब्लॉक में एकमात्र परिसम्पत्ति थी। (ii) यदि कोई राशि अगर किसी परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के संदर्भ में ब्याज के रूप में प्रदत्त या देय हो, परिसम्पत्ति के बाद की अवधि से सम्बंधित ब्याज की राशि को पहले उपयोग किया गया है, तो इसे परिसम्पत्ति की लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।
धारा 32(1) के लिए परन्तुक 1	जहां पिछले वर्ष के दौरान अधिग्रहीत एक परिसम्पत्ति को उस पिछले वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाता है, वहां मूल्यहास स्वीकृति की निर्धारित दरों पर संगणित राशि के 50% तक प्रतिबंधित होगी।
धारा 32(1) के लिए परन्तुक 4	उत्तराधिकार के मामले में पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती अथवा समामेलन के मामले में समामेलक कम्पनी और समामेलित कम्पनी अथवा विघटन के मामले में विघटित कम्पनी और परिणामी कम्पनी को अनुमय मूर्त अथवा अपूर्व परिसम्पत्तियों के मूल्यहास के सम्बन्ध में कुल कटौती उस वर्ष के लिए निर्धारित दर पर आकलित मूल्यहास से अधिक नहीं होगी तथा कुल कटौती पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती या समामेलित कम्पनी और समामेलक कम्पनी या विघटित कम्पनी और परिणामी कम्पनी के बीच दिनों की संख्या के अनुपात में जिसमें परिसम्पत्तियां उनके द्वारा उपयोग की गई थी, बाँट दी जाएगी।

धारा 32(1) का स्पष्टीकरण 1	जहां व्यवसाय या पेशे को निर्धारिती द्वारा एक ऐसी बिल्डिंग में किया जाता है जो उसके स्वमित्व तथा किसी पूंजी व्यय को किसी सरंचना के निर्माण या बिल्डिंग के नवीनीकरण, सुधार या विस्तार के लिए खर्च किया जाता है वहां मूल्यहास को 'बिल्डिंग' के लिए निर्धारित दरो पर ऐसे पूंजीगत व्यय के संदर्भ में स्वीकृति दी जाएगी।
धारा 32(1) का स्पष्टीकरण 5	धारा 32(1)(i) एवं 32 (1) (ii) के तहत इस तथ्य के संदर्भ में मूल्यहास की स्वीकृति अनिवार्य है कि निर्धारिती ने कुल आय की संगणना करने में मूल्यहास का दावा किया है या नहीं।
32(1)(iiiए)	वास्तविक लागत के 20% अतिरिक्त मूल्यहास पर किसी सामग्री या वस्तु के निर्माण या उत्पादन के व्यवसाय में लगे निर्धारिती द्वारा 31 मार्च 2005 के बाद अधिग्रहित तथा संस्थापित नई मशीनरी या संयंत्र (शिप तथा एयरक्राफ्ट को छोड़कर) के मामले में मंजूरी दी जाएगी। मशीनरी या संयंत्र के संदर्भ ऐसी किसी कटौती को स्वीकृति नहीं दी जाएगी यदि इसे किसी अन्य व्यक्ति अथवा जहां सारी वास्तविक लागत जिस पर किसी एक पिछले वर्ष के व्यवसाय या पेशे के शीर्ष लाभ और अभिलाभ के तहत प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में दी जाती है, के द्वारा पहले उपयोग किया जाए।
32(1)(iii)	जब ऐसी परिसम्पत्ति जिस पर मूल्यहास को स्वीकृत किया जाता है, को पूर्व वर्ष में बेचा जाता है अथवा फेंक दिया जाता है या नष्ट किया जाता है तथा यदि ऐसी परिसम्पत्ति के संदर्भ में प्राप्त योग्य मूल्य बीमा, अवशिष्ट मूल्य मुआवजा या बिक्री मूल्य जैसा भी मामला हो, में लिखित मूल्य से कम पड़ती है तो ऐसी भिन्नता को कटौती (टर्मिनल मूल्यहास) के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी कटौती को स्वीकृत करने के लिए शर्त यह है कि ऐसी कमी को लेखा बहियों में बड़े खाते में डाला जाय।
32(2)	अपर्याप्त लाभ या किसी मूल्यहास की हानि जिसे लाभ के अभाव में पूर्ण रूप से स्वीकृति नहीं दी जा सकती थी, के मामले में ऐसी राशि जिसे पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिया जा सका, को बाद के वर्ष में अगेनीत किया जायेगा तथा ऐसे बाद के पूर्व वर्ष के मूल्यहास के एक भाग के रूप में होगा। (यह शर्त धारा 72(2)) एवं धारा 73(3)
35डी	जहां एक निर्धारिती औद्योगिक उपक्रम के विस्तार या नई औद्योगिक यूनिट की स्थापना के संदर्भ में या तो व्यवसाय के प्रारम्भ से पूर्व या व्यवसाय के प्रारंभ के पश्चात धारा 35 डी की उपधारा (2) के तहत निर्दिष्ट किसी खर्च को व्यय करता है, वहां उस वर्ष जिसमें व्यवसाय आरम्भ हो या उपक्रम का विस्तारण पूरा हो या नई औद्योगिक यूनिट उत्पादन प्रारम्भ करे जैसा भी मामला हो, के आरम्भ से पांच वर्षों की अवधि हेतु ऐसे व्यय के पांचवें हिस्से के समान कटौती को अनुमति दी जाएगी।
35डी (3)	कटौती को परियोजना लागत के 5% तक प्रतिबंधित किया जाता है अथवा जहां निर्धारिती एक भारतीय कम्पनी है, वहां कटौती कम्पनी के करोबार में नियोजित पूंजी के कम्पनी के विकल्प पर होती है।

35डी (4)	गैर निगमित निर्धारिती या सहकारी समिति के मामले में, कटौती तब तक स्वीकृत नहीं होगी जब तक निर्धारिती के लेखे उन वर्षों के लिए लेखापरीक्षित न हो जिसमें ऐसे व्ययों को वहन किया जाता है तथा उस प्रथम वर्ष के लिए आय के रिटर्न के साथ निर्धारित फॉर्म में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसमें ऐसी कटौती का दावा किया जाता है।
35डी (5) एवं (5ए)	कम्पनी के समामेलन या विघटन के मामले में, कटौतियां समामेलित या परिणामी कम्पनी को अनुमत की जाएंगी और ऐसे मामले में समामेलित या विघटित कम्पनी को कोई और कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।
35डीडी	जहाँ एक भारतीय कम्पनी एक उपक्रम के समामेलन या विघटन के उद्देश्य के लिए पूर्णतः और विशेष रूप से कोई व्यय करती है, वहां ऐसे व्यय के पांचवे हिस्से के बराबर कटौती, पिछले वर्ष से प्रारंभ कर, जिसमें समामेलन या विघटन किया गया हो से लगातार पाँच वर्षों की एक अवधि के लिए अनुमत की जाएगी।
35डीडीए (1)	जहाँ एक निर्धारिती एक कर्मचारी को अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित किसी भी योजना के तहत भुगतान के रूप में कोई व्यय करता है तो उस वर्ष जिसमें व्यय किया गया था से प्रारंभ कर पाँच वर्षों की अवधि के लिए ऐसे व्यय के पांचवे हिस्से के बराबर की कटौती की अनुमति दी जाएगी।
35डीडीए (2) एवं (3)	कम्पनी के समामेलन या विघटन के मामले में, समामेलित या परिणामी कम्पनी को जैसा भी मामला हो कटौती अनुमत की जाएगी जैसे समामिलित या विघटित कम्पनी को कटौती अनुमत की जाती थी।
35डीडीए (4)	साझेदारी फर्म या स्वामित्व प्रतिष्ठान के मामले में कारबार के पुर्नगठन में कम्पनी द्वारा स्थान ले लिया गया है, ऐसे उत्तरवर्ती कम्पनी को कटौती अनुमत होगी बशर्ते धारा 47(xiii) या धारा 47(xiv) जैसे भी लागू हो के प्रावधानों में दी गई शर्तों का अनुपालन हो और इसके अतिरिक्त कोई पुनः कटौती साझेदारी फर्म या स्वामित्व प्रतिष्ठान को लागू नहीं होगी जैसा भी मामला हो। कारबार के पुर्नगठन के अन्तर्गत प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या असूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी के मामले में जिसका स्थान धारा 47 के खण्ड (xiiiबी) के परन्तुक में विहित शर्तों को पूरा करते हुए एक लिमिटेड देयता साझेदारी द्वारा ले लिया गया है फिर कटौती उत्तरवर्ती सीमित देयता साझेदारी को अनुमत होगी और इसके अतिरिक्त कोई कटौती प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या असूचीबद्ध कम्पनी को अनुमत नहीं हो जैसा भी मामला हो (नि.व. 2011-12 से लागू)।

72ए (1)	<p>एक कम्पनी के अन्य कम्पनी के साथ समामेलन के मामले में, इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में निहित होते हुए भी और आय कर अधिनियम की धारा 72(ए) की उप धारा 2 में विहित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन समामेलित कम्पनी की संचित हानि और अनवशोषित मूल्यहास उस वर्ष में समामेलित कम्पनी की हानि, मूल्यहास के लिए अनुमति के रूप मानी जाएगी, जिस वर्ष में समामेलन हुआ था और हानि का अग्रनयन और मूल्यहास की अनुमति से संबंधित अधिनियम के अन्य प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।</p>
72ए(4)	<p>विघटन के मामले में जहाँ हानि और अनवशोषित मूल्यहास हस्तांतरित उपक्रम से सीधे सम्बद्ध है वहाँ उपक्रम की संचित हानि और अनवशोषित मूल्यहास के लिए हस्तांतरित छूट परिणामी कम्पनी को अनुमत होगी और जहाँ हानि और अनवशोषित मूल्यहास हस्तांतरित उपक्रम से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं है वहाँ हानि और अनवशोषित मूल्यहास विघटित कम्पनी और परिणामी कम्पनी के बीच उसी आनुपात में विभाजित किए जाएंगे जिसमें उपक्रम की परिसम्पत्तियां विघटित कम्पनी द्वारा रखी गईं और परिणामी कम्पनी को हस्तांतरित की गईं हैं और उन्हें विघटित कम्पनी या परिणामी कम्पनी के पास अग्रणीत या समंजन किया जाना अनुमत होगा जैसा भी मामला हो।</p>
72ए(6)	<p>कारबार के पुनर्गठन के मामले में जिसमें धारा 47 के खण्ड (xiii) में निहित शर्तों को पूरा करते हुए एक फर्म एक कम्पनी की जगह लेती है या एक स्वामित्व प्रतिष्ठान धारा 47 के खण्ड (xiv) में निहित शर्तों को पूरा करते हुए एक कम्पनी की जगह लेती है तो पूर्ववर्ती फर्म या स्वामित्व कम्पनी जैसा भी मामला हो की संचित हानि और अनवशोषित मूल्यहास पिछले वर्ष जिसमें कारबार पुनर्गठन प्रभावित हुआ हो के उद्देश्य के लिए हानि माना जाएगा या उत्तरवर्ती कम्पनी के मूल्यहास की अनुमति मानी जाएगी और समंजन और अग्रणीत हानि और मूल्यहास की अनुमति के लिए इस अधिनियम के अन्य प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।</p>
43ए	<p>उस मामले में जहाँ कारबार या वृत्ति के उद्देश्य से भारत से बाहर देश से कोई परिसम्पत्ति अधिग्रहित की गई हो, भुगतान करने के समय ऐसी परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के बाद के किसी पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विनिमय दर में किसी परिवर्तन को परिसम्पत्ति की लागत के प्रति समायोजित किया जाएगा। समायोजन के बाद निकाली गई राशि परिसम्पत्ति की वास्तविक लागत मानी जाएगी।</p>

परिशिष्ट 2
(पैरा:1.10 देखें)

अभिलेखों का प्रस्तुत न करना

क्र. सं.	राज्य	मॉगे गए मामले	प्रस्तुत किए गए मामले	प्रस्तुत न किए गए मामले	प्रस्तुत न किए जाने की %
1	आन्ध्र प्रदेश	6,342	5,423	917	14.46
2	असम	4,298	4,286	12	0.28
3	बिहार	2,347	2,193	154	6.56
4	छत्तीसगढ़	1107	1,098	9	0.81
5	दिल्ली	14,666	9,912	4,754	32.41
6	गुजरात	2,966	2,911	55	1.85
7	झारखण्ड	589	558	31	5.26
8	कर्नाटक	2,294	2,092	132	5.93
9	केरल	2,208	2,023	185	8.38
10	मध्य प्रदेश	1,405	1,405	0	0
11	महाराष्ट्र	13,119	12,268	851	6.49
12	ओडिशा	1,307	1,119	188	14.38
13	पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश	9,100	8,210	890	9.78
14	राजस्थान	4,287	4,010	277	6.46
15	तमिलनाडु	6,760	6,414	346	5.12
16	उत्तराखण्ड	1,759	1,660	99	5.63
17	उत्तर प्रदेश	8,120	6,658	1,462	18
18	पश्चिम बंगाल	16,135	14,783	1,352	8.38
जोड़		98,809	87,023	11,714	11.86

परिशिष्ट 3ए

मामले जिनमें आय कर अधिनियम के अनुसार मूल्यहास अधिक है

(पैरा: 2.2 देखें)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	राज्य	मामले जिनमें आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यहास अधिक है	लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया मूल्यहास	(4)	(5)	(6)	अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6-4)	
1	आन्ध्र प्रदेश	636	2,72,841.69	4,94,561.23	4,87,209.3	2,14,367.61	
2	असम	90	2,800.29	7,405.58	7,453.16	4,652.87	
3	बिहार	75	10,852.4	19,569.28	18,646.39	7,793.99	
4	छत्तीसगढ़	2	59.56	120.31	120.31	60.75	
5	दिल्ली	705	2,36,217.03	4,97,135.30	4,90,950.70	2,54,733.67	
6	गुजरात	570	3,15,375.55	98,83,225.65	7,58,898.51	4,43,522.97	
7	झारखण्ड	58	13,252.21	32,183.16	32,183.16	18,930.95	
8	कर्नाटक एवं गोवा	506	2,23,748.25	8,50,221.02	8,50,221.02	6,26,472.77	
9	केरल	311	1,16,946.2	1,81,532.35	1,79,827.13	62,880.93	
10	मध्य प्रदेश	26	19,967.42	38,982.81	90,456.5	70,489.08	
11	महाराष्ट्र	1,295	25,83,803.22	53,08,372.94	5,308,372.94	27,24,569.7	
12	ओडिशा	129	69,315.86	1,06,184.79	96,026.76	26,710.9	
13	पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश	180	3,64,482.21	5,66,471.36	5,66,163.49	2,01,681.28	
14	राजस्थान	72	29,759.88	52,168.63	52,166.99	22,407.11	
15	तमिलनाडु	542	3,49,575.79	5,84,767.87	5,77,692.74	2,28,116.95	
16	उत्तराखण्ड	47	5,44,462.61	11,11,152.71	11,11,152.71	5,66,690.10	
17	उत्तर प्रदेश	486	1,97,609.64	3,32,166.54	3,32,166.54	1,34,556.9	
18	पश्चिम बंगाल	537	2,03,048.91	375,922.39	360,951.58	157,902.67	
	जोड़	6,267	55,54,118.72	2,04,42,143.92	1,13,20,659.93	57,66,541.20	

2014 की प्रतिवेदन संख्या 20 (निष्पादन लेखापरीक्षा)

परिशिष्ट 3ख

मामले जहां कम्पनी अधिनियम के अनुसार मूल्यहास अधिक है
(पैरा 2.2 देखें)

क्रम सं.	राज्य	मामले जहां कम्पनी अधिनियम के अनुसार मूल्यहास अधिक है	लाभ एवं हानि खाते में डेबिट किया गया मूल्यहास	आयकर अधिनियम के अनुसार दावा किया गया मूल्यहास	आयकर अधिनियम के अनुसार अनुमत मूल्यहास	अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4-6)
1	आन्ध्र प्रदेश	313	155,788.00	136.44	279.83	1,55,508.17
2	असम	135	4,951.01	3,048.54	3,166.34	1,784.67
3	बिहार	63	2,461.76	2,047.16	2,067.66	394.1
4	दिल्ली	832	1,44,565.51	87,148.13	82,764.54	61,800.96
5	गुजरात	474	2,12,539.90	4,88,553.21	1,68,413.83	44,126.07
6	झारखंड	9	65,739.46	50,188.80	50,188.80	15,550.66
7	कर्नाटक और गोवा	638	2,42,560.81	1,49,478.52	1,49,478.52	93,082.29
8	केरल	436	1,96,179.19	1,73,431.80	1,13,581.43	82,597.76
9	मध्य प्रदेश	35	1,066.46	591.98	591.98	474.48
10	महाराष्ट्र	1,482	21,85,992.11	16,11,994.29	16,11,994.29	5,73,997.82
11	ओडिशा	123	1,27,048.33	90,250.95	90,250.95	36,797.38
12	राजस्थान	18	42,480.00	26,621.00	26,621.00	15,859.00
13	तमिलनाडु	178	2,33,837.70	1,80,089.60	1,79,935.30	53,902.40
14	उत्तराखंड	39	1,546.84	1,150.95	1,264.42	282.42
15	उत्तर प्रदेश	646	1,02,080.44	81,176.85	81,176.85	20,903.59
16	पश्चिम बंगाल	505	68,159.34	50,024.61	49,740.13	18,419.21
जोड़		5,926	37,86,996.86	29,95,932.83	26,11,515.87	11,75,480.98

परिशिष्ट 3ग

मामले जहां मूल्यहास कम्पनी अधिनियम और आयकर अधिनियम के अनुसार समान है (पैरा 2.2 देखें)

क्रम सं.	राज्य	मामले जहां मूल्यहास लाभ एवं हानि खाते कम्पनी अधिनियम और आयकर अधिनियम के अनुसार समान है	लाभ एवं हानि खाते में डेबिट किया गया मूल्यहास	अधिनियम के अनुसार दावा किया गया मूल्यहास	अधिनियम के अनुसार अनुमत मूल्यहास	अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6-4)
1	आन्ध्र प्रदेश	438	2,929.96	2,929.96	2,929.96	
2	असम	246	2,839.93	2,839.93	2,839.93	
3	बिहार	6	82.87	82.87	82.87	
4	दिल्ली	757	7,043	7,042	7,043.23	0.00449
5	गुजरात	218	32,988.51	32,988.51	32,988.51	
6	कर्नाटक और गोवा	626	10,984	10,984	10,984	
7	केरल	260	20,629.30	22,468.11	20,629.30	
8	महाराष्ट्र	5,262	43,059	43,059	43,059	
9	ओडिशा	259	8,575.81	8,575.81	8,575.81	
10	तमिलनाडु	78	10,817.95	7,482.70	10,817.95	
11	उत्तराखण्ड	43	1,665.63	1,665.63	1,665.63	
12	उत्तर प्रदेश	1,858	1,59,595	1,59,595	1,59,595	
13	पश्चिम बंगाल	390	1972.08	1972.08	1972.08	
	जोड़	10,441	3,03,183.04	3,01,685.60	3,03,183.27	

परिशिष्ट 4

क्रम सं.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(र लाख में)	
							मूल्यहास अधिक अनुमति	मूल्यहास की
							आधार पर अनुज्ञेय मूल्यहास	एक माह के लिए आनुपालिक
							मूल्यहास	मूल्यहास
							(5-6)	(5-6)
1	आन्ध्र प्रदेश	102	1,55,517.10	24,745.98	4,113.83	20,632.15		
2	असम	4	959.36	360.81	60.65	300.16		
3	बिहार	19	3,603.78	301.34	50.11	251.23		
4	छत्तीसगढ़	5	100.02	7.50	1.24	6.26		
5	दिल्ली	24	16,163.60	808.18	134.70	673.48		
6	गुजरात	99	75,896.49	6,254.11	1,041.91	5,212.20		
7	झारखंड	24	16,273.68	1,285.38	214.08	1,071.30		
8	कर्नाटक और गोवा	200	31,566.09	2,873.10	478.85	2,394.25		
9	केरल	48	4,693.14	794.27	117.03	677.24		
10	मध्य प्रदेश	8	750.69	179.72	29.97	149.75		
11	महाराष्ट्र	163	26,58,945.01	4,06,736.23	67,778.71	3,38,957.52		
12	ओडिशा	16	4,651.53	374.45	62.41	312.04		
13	पंजाब, हरियाणा एवं हि.प्र.	49	28,718.13	2,635.13	439.15	2,195.98		
14	राजस्थान	14	1,862.10	618.84	103.13	515.71		
15	तमिलनाडु	37	15,408.79	4,323.42	719.85	3,603.57		
16	उत्तराखंड	20	685.04	47.54	7.92	39.62		
17	उत्तर प्रदेश	26	10,603.94	2,791.33	467.52	2,323.81		
18	पश्चिम बंगाल	128	1,11,46,146.59	11,06,648.99	1,84,440.31	9,22,208.68		
	जोड़	985	1,41,72,545.08	15,61,786.32	2,60,261.37	13,01,524.95		

परिशिष्ट 4क

सितम्बर माह के दौरान खरीदी गई परिसम्पत्तियों के ब्याँ (पैरा 2.3 देखें)

क्रम सं.	राज्य	निर्धारिती	किए गए कुल संवर्धन	अनुमत मूल्यहास (अतिरिक्त मूल्यहास सहित)	एक माह के लिए आनुपातिक आधार पर अनुज्ञेय मूल्यहास	मूल्यहास की अधिक अनुमति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5-6)
1	महाराष्ट्र	143	7,79,880.23	2,52,576.81	1,47,336.47	105240.39
2	पश्चिम बंगाल	25	2,878.63	455.42	265.22	190.20
3	असम	1	115.43	13.08	7.63	5.45
4	दिल्ली	224	8,467.03	1,333.01	777.59	555.42
5	बिहार	8	453.45	103.42	60.33	43.09
6	कर्नाटक	13	6,577.43	966.46	563.77	402.69
7	हरियाणा	1	23,52,007.00	Not available	Not available	1,121.00
8	केरल	22	1,748.92	261.04	152.25	108.74
9	उत्तराखंड	5	418.97	90.23	52.64	37.59
10	उत्तर प्रदेश	8	9,563.24	2,852.46	1,660.69	1,191.77
	जोड़	450	31,62,110.33			1,08,896.34